UPME010031972026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01, मेरठ।
उपस्थित :– मोहम्मद असलम सिद्धीकी (एच०जे०एस०)
JO Code NO. UP– 6209
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–1120/2026
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–884/2026

अनुराग ... ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ... ...विपक्षी

धारा – 109(1),115(2),352,351(3),
3(5) बी०एन०एस०
थाना – जानी, जिला मेरठ
मु०अ०सं० 83 सन् 2026

11.03.2026

1– पुलिस थाना जानी जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 86 सन् 2026 अंतर्गत धारा 109(1),115(2),352,351(3), 3(5)बी०एन०एस० में वांछित अनुराग पुत्र सुभाष गिरी निवासी पिंकी चौधरी कालोनी वेस्ट कमल विहार थाना बुराडी जिला नयी दिल्ली की ओर से जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में लंबित नहीं है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी अमित गोस्वामी पुत्र विजेन्द्र निवासी रसूलपुर धौलडी थाना जानी मेरठ का निवासी हू मेरे परिवार में दिनांक 10/02/26 की रात्री में लडकी की शादी थी जिसमे बारात करावलनगर दिल्ली से आई थी बारात चढाते समय करन पुत्र सुभास गिरी व अनुराग पुत्र सुभाषगिरी व विवेक पुत्र मोनू शुकला निवासी गण पिंकी चौधरी कालोनी वेस्ट कमल विहार भुराडी दिल्ली से मेरे बेटे विराट व पडोसी कासिम पुत्र नबी हसन व विकास पुत्र मुखिया निवासीगण रसूलपुर धौलडी थाना जानी मेरठ से कहासुनी हो गयी थी जिसमे करण. अनुराग व विवेक ने एकराय मशवरा होकर मेरे बेटे विराट पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमलाकर दिया जिसमें मेरे बेटे विराट व अन्य को गम्भीर चोटे आई है मारपीट करते समय लोगो ने गाली गलोच व जान से मारने की धमकी दी मै थाने आयाहू मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

4– जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त सर्वदा निर्दोष है। प्रार्थी अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से चाकू बरामद नही हुआ है न ही प्रार्थी अभियुक्तने वादी को किसी प्रकार की चोट पहुंचायी वह अपने बुआ के लड़के की शादी में दिल्ली से रसूलपुर धोलड़ी गांव में बारात में आया था । उसने लड़की पक्ष वालों से झगड़ा नही किया कुछ लोग जो शराब पीये हुये थे तथा डी०जे० पर गाना बजाने के उपर डी०जे. वालों से तथा बरातियों से लड़ायी कर रहे थे। प्रार्थी अभियुक्त ने तो केवल बीच बचाव किया था। प्रार्थी अभियुक्त के बीच बचाव में सिर व पैरों में भी चोट है लेकिन पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नही की। प्रार्थी अभियुक्त का घटना कारित करनें का हेतुक नही है। प्रार्थी अभियुक्त उक्त मुकदमें में दिनांक 11–02–2026 से मेरठ कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी अभियुक्त जमानत होने के पश्चात विवेचना व विचारण में पूरा सहयोग करेगा। उसके फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये उचित जमानत दाखिल करने के लिये तैयार है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते

हुये उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रार्थी अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र व अन्य को जान से मारने की नियत से उन पर चाकू से हमला कर गम्भीर उपहति कारित करने का आक्षेप है। वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 10/02/26 की रात्री में लडकी की शादी थी जिसमे बारात करावलनगर दिल्ली से आई थी बारात चढाते समय करन पुत्र सुभास गिरी व अनुराग पुत्र सुभाषगिरी व विवेक पुत्र मोनू शुकला निवासी गण पिंकी चौधरी कालोनी वेस्ट कमल विहार भुराडी दिल्ली से मेरे बेटे विराट व पडोसी कासिम पुत्र नबी हसन व विकास पुत्र मुखिया निवासीगण रसूलपुर धौलडी थाना जानी मेरठ से कहासुनी हो गयी थी जिसमे करण. अनुराग व विवेक ने एकराय मशवरा होकर मेरे बेटे विराट पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमलाकर दिया जिसमें मेरे बेटे विराट व अन्य को गम्भीर चोटे आई है मारपीट करते समय लोगो ने गाली गलोच व जान से मारने की धमकी दी। केस डायरी के पर्चो संख्या–1 पर विवेचक द्वारा प्रकरण के चुटहिल कासिम,विकास व विराट को प्रश्नगत प्रकरण की घटना में आयी चोटों का विवरण अंकित किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चुटहिल कासिम के शरीर पर एक चोट An Incised wound 3.5x1x1.5 cm rt lover back. 10cm from spine margins are clean cut bleeding from wound present. तथा चुटहिल विकास के शरीर पर एक चोट An Incised wound 2.5x1x1 cm Lt lover back 3cm from spine margins are clean cut regular bleeding present from wound. जो शार्प आब्जेक्ट से आना पाया गया है,चिकित्सक द्वारा अंकित किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण के एक अन्य चुटहिल विराट के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चिकित्सक द्वारा मजरूब की छाती में Stab wound 2.5x2cm at lateralaspect of chest की चोट अंकित करते हुये उक्त चोट को चाकू से आना दर्शाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा गम्भीर प्रकृति की चोट उल्लिखित किया गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण करन व विवेक को गिरफतार किया गया जिनकी निशानदेही पर प्रकरण में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी किया जाना अभिलेख से दर्शित होता है तथा सह अभियुक्तगण करन व विवेक ने दौरान पूछताछ बताया कि उन्होनें अपने एक साथी अनुंराग पुत्र सुभाषगिरी के साथ मिलकर इन्ही चाकू से विराट,कासिम व विकास पर जान से मारने की नियत से हमला किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विवाह समारोह में मुकदमा उपरोक्त के मजरूबों के उपर चाकू से हमला किया गया जिसमें तीनों मजरूबान को गम्भीर चोटें आयी हैं तथा प्रकरण के सह अभियुक्त करन व विवेक की निशानदेही पर प्रकरण की घटना में प्रयुक्त एक–एक चाकू बरामद किया गया है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की संलिप्तता इस स्तर पर दर्शित हो रही है। प्रार्थी अभियुक्त को झूठा फंसाया जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। बचाव पक्ष की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वे बचाव स्तर के है। जिनका कोई लाभ प्रार्थी अभियुक्त को इस स्तर पर प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर बिना विचार किये प्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अभियुक्त अनुराग पुत्र सुभाष गिरी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक,जिला कारागार को सूचनार्थ् प्रेषित की जाये।

(मोहम्मद असलम सिद्धीकी)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–1
मेरठ।
11.03.2026

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.